न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/78/2022

प्रेमनिधि शर्मा पुत्र गोपाल राम शर्मा, 788 न्यू बागड़ कालोनी रुपवास 321404 जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रुपवास जिला भरतपुर

.............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 20.10.2022**

अपीलार्थी प्रेमनिधि शर्मा पुत्र गोपालराम शर्मा न्यू बाग कालोनी रुपवास 321404 जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रुपबास के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 8.8.2022 से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रुपबास से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रुपबास द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/22/750 दिनांक 27.9.2022 के द्वारा लोक सूचना तहसीलदार रुपबास से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि 25 में से 17 पृष्ठ की सूचना अप्रमाणित दी है जिनका कोई औचित्य नहीं है सूचनायें पूर्ण नहीं दी गई जा रही हैं। लोक सूचना अधिकारी से जबाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार रुपवास को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई पूर्ण सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जावे तथा लोक सूचना

.............2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपील / आरटीआई / 69 / 2022
प्रेमनिधि शर्मा बनाम तहसीलदार रुपवास

अधिकारी तहसीलदार रुपवास को पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर